04/01/2023 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप० आये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 039R7 ज़ा०फौ० पर वकील उभय पक्षकारान को सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगाये जाने के बाबत निवेदन किया है जबकि स्वयं प्रार्थी/वादी द्वारा ही प्रार्थना पत्र पत्रावली के बाबत का मूलदावा ही तकासमा आराजी का पेश किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी उक्त प्रार्थना पत्र भी सन्देहास्पद है इसी क्रम में वकील अप्रार्थी ने दौरान बहस उक्त आशय ही उज्र का निवेदन करते हुए उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मंगाये जाने की मौका रिपोर्ट को मिथ्या व झूठी आधार बताते हुए खारीज किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत मंगाये जाने मौका रिपोर्ट को यह न्यायालय कानूनन खारीज पाता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज की जाती है। साथ ही वकील उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना-पत्र प्रार्थना-पत्र बाबत 212 R.T.Act. पर सुनी गई जो खारीज होने पाये जाने की स्थिति में खारीज की जाती है एवं मिसल [illegible] से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित बाद तकमील मिसल जुम्मा हो नम्बर से कम हो। फैसला खुले में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
202 / 2020	28.10.2020	04.01.2023

//उनवान//

1 चेतराम पुत्र रतिया जाति गुर्जर निवासी छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1 निरंजनलाल पुत्र रतिया जाति गुर्जर निवासी छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
2 श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
3 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज।

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र– अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955।

उपस्थितिः– श्री पृथ्वीसिंह यादव – वकील प्रार्थी
श्री अरूण पंडित – वकील अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक– 04.01.2023

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 787 / 0.42, 757 / 0.94, 758 / 0.99, 789 / 0.51, 810 / 2.59, 921 / 748 / 0.5 है0 वाके ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर आराजी उक्त प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। तर0प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 का ख0नं0 787 / 0.42 है0 में हिस्सा है इसलिए ही पक्षकार बनाया है अन्य खसरा नम्बर में हिस्सा नहीं है। विवादित आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड में मिनप्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम का अंकन शामलात में हो रहा है तथा मिनप्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 शामलात में काबिज होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का विधिक तकासमा आजतक नहीं हुआ है व अप्रार्थी सं0 1 आये दिन मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा करता है व शामलात में इन्द्राज होने व शामलात में काश्त होने का बेजा फायदा उठाकर बिला विधिक तकासमा कराये ही विवादित आराजी का विशिष्ट भाग बेचान करने को उतारू हो रहा है जिस बाबत दिनांक 23.09.2019 को अप्रार्थी सं0 1 ने एलानिया धमकी दी कि मैं मेरी समस्त आराजी का मेरा हिस्सा ऐसे मुठमर्द लोगों को बेचकर मनचाहे स्थान पर कब्जा दूंगा तथा बेचान करते ही समस्त जमीन के चार दिवारी करने व इच्छित स्थान पर व निर्माण कार्य करने पर उतारू है तथा शामलाती आराजी में सभी

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

हिस्सेदारान का प्रत्येक इंच–इंच पर कब्जा होना कानूनन है इसलिए मिनप्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का तकासमा बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने का अधिकारी है तथा अप्रार्थी सं0 1 मिनप्रार्थी के काश्तकार्य में मजाहमत पैदा करता है। इसलिए सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिनप्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा वाकई असल अप्रार्थी सं0 1 ने विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान कर दिया तथा मिनप्रार्थी को आराजी से बेदखल कर प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा कर लिया तो मिनप्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा प्रार्थनापत्र ही बेमायना हो जावेगा आदि–आदि अंकित करते हुये विवादित समस्त आराजीयात में से असल अप्रार्थी विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये समस्त भाग या कोई विशिष्ट भाग किसी दीगर व्यक्ति अजनबी क्रेता को रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिनप्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे ना ही प्रार्थी को आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी पर निर्माण कार्य करे व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजीयात से संबंधित कोई भी दस्तावेजात तस्दीक या पंजीबद्ध ना करे आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में मूल दावा पत्रावली के साथ–साथ अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। मुताबिक जवाब प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि प्रार्थी ने दावा आराजी का ताकसमा कराने हेतु पेश किया है तथा तकासमा के दावा में कानूनन या तो प्रार्थी की जद में पक्षकार होते है या असल अप्रार्थी की जद में पक्षकार होते है तथा तर0प्रतिवादी की जद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ रही है जो मिनअप्रार्थी सं0 1 के हिस्से आई आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। मिनप्रार्थी द्वारा कथित दिनांक को कोई धमकी नहीं दी गई है प्रार्थी सहखातेदार को आराजी बेचान करने से नहीं रुकवा सकता बल्कि प्रार्थी ने मिनअप्रार्थी के हिस्से आई आराजी पर कब्जा करने की नियत से दावा पेश किया इसलिए वाद में वर्णित आराजी की मौके पर काबिज अनुसार रिपोर्ट मंगाई जाकर प्रार्थी के साथ मिनअप्रार्थी के हिस्से की आराजी का भी खाता अलग कर दिया जावे। वास्तविकता तो यह है कि आराजी के सभी सहखातेदारान द्वारा अर्सा दराज से आराजी का बहामी बटवारा कर रखा है तथा बटवारा अनुसार ही सभी आराजी पर काबिज है प्रार्थी उक्त वाद की आड में सहखातेदारान को उनके हिस्से की आराजी के बेचान को नहीं रुकवा सकता क्योंकि समस्त सहखातेदारान को कानून द्वारा समान हक अधिकार हासिल है जिससे ना ही प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होती है आदि–आदि अंकित करते हुये प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को मय हरजा–खर्चा खारिज फरमाया जावे का निवेदन रहा।

सहायक कलक्टर
राजगढ़ (अलवर) राज0

वकील उभपक्षकारान की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात उभयपक्षकारान की सहखातेदारी की अबट आराजी है तथा सभी सहखातेदारान शामलात में अपने–अपने हिस्सेनुसार काश्त कर रहे है तथा आराजी का विधिक तकासमा आजतक नहीं हुआ है तथा शामलाती आराजी में सभी हिस्सेदारान का प्रत्येक इंच–इंच पर कब्जा होना कानूनन है तथा अप्रार्थी सं0 1 बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी को अजनबी लोगों को बेचान करना चाहता है इसलिए सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस प्रार्थी के पक्ष में आयद व साबित है तथा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए विवादित आराजीयात के बाबत तकासमा कराये जाने बाबत के मूल दावो के निर्णय तक अप्रार्थी सं0 1 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने पाबंद रखा जावे एवं प्रार्थनापत्र में जारी अंतरिम आदेश स्थगन को ताफैसला मूल दावा समपुष्ट किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत तकासमा आराजी का वादपत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थनापत्र साथ में पेश किया है और केवल मात्र प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नीयत से उक्त वाद पत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है। आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 एवं अन्य सहखातेदारान ने अर्सा दराज से बहामी बटवारा कर रखा है तथा बहामी बटवारा अनुसार ही सभी काबिज काश्त है और अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तथा केवल मात्र आराजी का विधिक ताकसमा नहीं हुआ है जबकि प्रार्थी/वादी ने विवादित आराजी के तकासमें बाबत के मूल वाद में सहखातेदारान को भी असल प्रतिवादीगण की जद में अंकित नहीं कर तर0प्रतिवादीगण की जद में अंकित कर ताकसमा आराजी का वाद पेश किया है जो अपने आप में ही प्रार्थी की तंग व परेशान करने की स्थिति को जाहिर करता है तथा शामलाती आराजी के बाबत समस्त सहखातेदारान हिस्सेदारान का प्रत्येक इंच–इंच पर कब्जा होना कानूनन है एवं सभी को हक अधिकार समान हासिल है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संतुलन वाले दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध होने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को नहीं होकर अप्रार्थी को ही होती है अभिकथन करते हुये प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
गंगानगर (अलवर) राज0

वकील उभपक्षकारान की प्रार्थनापत्र के बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन पश्चात् उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण वाले बिन्दू को यह न्यायालय प्रार्थी के हक में नहीं पाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 के हक में साबित पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण वाला बिन्दू

बहक अप्रार्थी पाये जाने की स्थिति में सुविधा का संतुलन वाले बिन्दू को भी न्यायालय विरूद्ध प्रार्थी पाते हुये बहक अप्रार्थी पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वाले दोनों ही बिन्दू बहक अप्रार्थी पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू को भी यह न्यायालय विरूद्ध प्रार्थी पाते हुये बहक अप्रार्थी सं0 1 पाता है। फलतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आराजी ख0नं0 787/0.42, 757/0.94, 758/0.99, 789/0.51, 810/2.59, 921/748/0.5 है0 वाके ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति वाले तीनों बिन्दूओं को बहक अप्रार्थी पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है एवं पूर्व दिनांक 27.09.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक **04.01.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

04-01-2023

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०